

सिदो मरांडी
यनाम
16 आना रैयत
मौजा-दुलुमपुर न० 75

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख.....जिला-साहेबगंज
केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 45/2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
17.8.19	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 557/रा० दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा- दुलुमपुर न०-75 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- दुलुमपुर न०-75 में दिनांक 17.07.2019 को श्री संतोष किरकु, के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सिदो मरांडी, पिता-स्व० चंदन मरांडी, ग्राम- दुलुमपुर, को मौजा-दुलुमपुर न०-75 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा-दुलुमपुर न०-75 एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सिदो मरांडी पिता-स्व० चंदन मरांडी, ग्राम-दुलुमपुर, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक सिदो मरांडी को मौजा- दुलुमपुर थाना न०-75, में संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>जापोक 420/205 दिनांक 31.8.19</p>
अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल।	अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	